



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2463-औ0सं0-17/पाकालि/2020-11(2)ए0एस0/20

दिनांक 08 सितम्बर, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा/कानपुर।

2-03

विषय:- प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1659/पाँच-5-2020/चिकित्सा अनुभाग-5 दिनांक 29.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) जिसमें प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा निजी चिकित्सालयों में किये जाने हेतु लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-1412/पाँच-5-2020 दिनांक 10.07.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के आदेश सं0-1550-औ0सं0/2020-11(2) ए0एस0/2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा एल-1, एल-2 एवं एल-3 चिकित्सालयों में उपचार हेतु एवं सं0-1825-औ0सं0/2020 दिनांक 20.07.2020 द्वारा शासनादेश सं0-917/71-4-2020/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 10.07.2020 के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित दरों, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कारपोरेशन एवं उसके सहयोगी कम्पनियों/डिस्काम के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उनके आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेन्शनरों के कोविड-19 संक्रमित रोगियों द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर भर्ती होकर कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः उक्त के अनुक्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1659/पाँच-5-2020/चिकित्सा अनुभाग-5 दिनांक 29.08.2020 द्वारा निर्धारित फीस/दरों पर भर्ती होकर कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:-2463-औ0सं0-17/पाकालि/2020/तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

क्रमशः 2/-

5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. निदेशक (का०प्र०) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. महाप्रबन्धक (मा०सं०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड, 12वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
13. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
16. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org/E BOOK पर अपलोड करने हेतु।
18. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

प्रेषक,

शत्रुञ्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2020

विषय- प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के उपचार के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा निजी चिकित्सालयों में किए जाने हेतु लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1412/पॉच-5-2020 दिनांक 10.07.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- प्रदेश में विगत कुछ समय से प्रतिदिन एक लाख के करीब कोरोना वायरस के सेम्पल्स की जाँच करवायी जा रही है। प्रदेश की औसत पॉजिटीविटी 5 प्रतिशत के आस-पास आ रही है। जहाँ कुछ जनपदों में यह पॉजिटीविटी बहुत कम है, वहीं कुछ जनपदों में 10 प्रतिशत से अधिक भी देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में कुछ जनपदों में जिला प्रशासन को किटिकल केयर के बेड्स की कमी महसूस हो रही है।

3- निजी चिकित्सालयों के लिए डा0 विनोद पॉल कमेटी के द्वारा दी गयी संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा निम्नवत् फीस निर्धारित की गयी है:-

(1) 'ए' श्रेणी के नगरों में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजों से ली जाने वाली दर निम्नलिखित है:-

Category of hospitals	Hospital rates for per day of admission (in Rs.)		
	Moderate Sickness ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	Severe Sickness ICU without need for ventilator care	Very Severe Sickness ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	8,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

(2) प्रदेश के 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के नगरों में स्थित सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल उक्त दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत शुल्क के रूप में लेगे।

(3) नगरों का वर्गीकरण निम्नवत् है:-

श्रेणी-ए-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) और गाजियाबाद के नगर।
श्रेणी-बी-मुरादाबाद, अलीगढ़, झाँसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद के नगर।
श्रेणी-सी-उपरोक्त श्रेणी-ए व बी से भिन्न जनपदों के नगर।

4- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों को अध्यापित किया गया है तथा उन्हें आयुष्मान भारत की दर पर मरीजों की चिकित्सा के लिए धनराशि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है। यह दर निम्नवत् है:-

जनरल वार्ड-	रु० 1800 प्रतिदिन
एच०डी०यू०-	रु० 2700 प्रतिदिन
आई०सी०यू० (वैटीलेटर रहित)	रु० 3600 प्रतिदिन
आई०सी०यू० (वैटीलेटर सहित)	रु० 4500 प्रतिदिन

उपरोक्त दर के अतिरिक्त निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को सरकार के द्वारा सुरक्षात्मक उपकरण यथा-पी०पी०ई० किट, एन-95 मास्क उपलब्ध कराया जा है।

5- यह देखा जा रहा है कि जहाँ एक ओर निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर मरीजों की संख्या कम ही रहती है तथा उनके बेड का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनपदों को किटिकल केयर के लिए बेड की कमी महसूस होती रहती है।

6- तत्काल में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किटिकल केयर के लिए जिलों में एल-2/एल-3 लेवल के चिकित्सालयों में बेड की कमी होने की दशा में निजी कोविड चिकित्सालयों के 50 प्रतिशत बेड पर जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संदर्भित मरीजों को आयुष्मान भारत की दर पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना बाध्यकारी होगा।

7- यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ०प्र० महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ०प्र० महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय
29/8/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1659(1)/पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ०प्र०।
9. अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उ०प्र०।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
29/8/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।